

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये,
मध्य प्रदेश

क्र./01/विज्ञप्त/सेल-संविदा/13/1626

भोपाल, दिनांक ~~10/9/2013~~
11/10/2013.

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
स्वास्थ्य सेवार्ये, मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्यप्रदेश
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
मध्यप्रदेश

विषय :- संविदा/बंधपत्र चिकित्सकों के मानदेय में वृद्धि।

—000—

म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-8/2013/17/भेडि-1 दिनांक 14.06.2013 द्वारा संविदा एवं बंधपत्र पर नियुक्त चिकित्सकों के मानदेय में वृद्धि की गई है। प्रति संलग्न है। मानदेय में वृद्धि दिनांक 14.06.2013 से प्रभावशील है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(डॉ० सी.एम.त्रिपाठी)
उप संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये,
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./01/विज्ञप्त/सेल-संविदा/13/1627
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक ~~10/9/2013~~
11/10/2013.

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, अरेरा हिल्स भोपाल।
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल।
6. समस्त अधिष्ठाता मध्यप्रदेश।
7. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
8. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये, भोपाल।
9. अधीक्षक, कार्यालय स्थापना शाखा, स्थानीय कार्यालय।

(डॉ० सी.एम.त्रिपाठी)
उप संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये,
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक /06/2013

क्रमांक एफ 2-8/2013/17/मेडि-1 :: राज्य शासन, एतद् द्वारा मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण चिकित्सा संवर्ग संविदा सेल (नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों) नियम-2002 के नियम 4(1) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत संविदा तथा बंधपत्र पर नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को निम्नानुसार मासिक संविदा की पुनरीक्षित राशि स्वीकृत करता है :-

क्र.	श्रेणी	विद्यमान मासिक संविदा की राशि	पुनरीक्षित मासिक संविदा की राशि
1.	स्नातक चिकित्सक (संविदा)	20,000/- प्रतिमाह	26,000/- प्रतिमाह
2.	स्नातक चिकित्सक (बंधपत्र)	20,000/- प्रतिमाह	26,000/- प्रतिमाह
3.	स्नातकोत्तर पत्रोपाधि चिकित्सक (बंधपत्र)	26,000/- प्रतिमाह	36,000/- प्रतिमाह
4.	स्नातकोत्तर उपाधि चिकित्सक (बंधपत्र)	26,000/- प्रतिमाह	38,000/- प्रतिमाह

1. मासिक संविदा की पुनरीक्षित दरें चिकित्सकों के चिकित्सकीय कार्य हेतु मासिक लक्ष्य निर्धारण के अध्याधीन होगी।
2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।
3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 340/R-441/B-6/13 दिनांक 07.06.2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(ओ.पी. बाथनगर)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 14/06/2013

पृष्ठा. क्रमांक एफ 2-8/2013/17/मेडि-1
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक/निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भोपाल।
2. स्टाफ ऑफिसर/निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल,

//2//

4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल,
 5. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल,
 6. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल,
 7. मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश, भोपाल,
 8. संचालक, चिकित्सा सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल,
 9. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल,
 10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश,
 11. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश,
 12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश,
 13. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश,
 14. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
 15. स्टाफ फाईल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

R. Khan

अवर सचिव 14/6/13

मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग